केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, एअर इंडिया लिमिटेड में
एयरबस-320 पर ना.वि.म.नि. द्वारा अनुमोदित "फ्लाईट डिस्पैचर्स पाठ्यक्रम" प्रशिक्षण

केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (सीटीई) की स्थापना वर्ष 1958 में हैदराबाद में 20 एकड़ में फैले हुए परिसर में हुई । 53 साल पहले एक साधारण प्रशिक्षण संस्था के रूप में आरंभ यह प्रतिष्ठान अपने अनुभव, निपुणताओं और कुशलताओं को विकसित कर आज यह नागर विमानन के सभी पहलुओं और विधाओं में प्रशिक्षण का एक उत्कृष्ट केन्द्र बन गया है । इसे टाईप रेटिंग प्रशिक्षण संगठन (टीआरटीओ) के रूप में अनुमोदन प्राप्त हुआ है । भारत में टीआरटीओ स्टेटस प्राप्त करने वाला यह सर्वप्रथम प्रतिष्ठान है । इसने वर्ष 2007, 2009 और 2011 में तीन अयोसा ऑडिट भी सफलतापूर्वक पूरे किये हैं । अत: अब यह अयोसा अर्थात् अयाटा द्वारा निर्धारित प्रचालन सुरक्षा मानकों की शर्तों को पूरा करता है ।

सीटीई में पायलट प्रशिक्षण, फ्लाईट डिस्पैचर्स एब-इनिशियो प्रशिक्षण, कैबिन कर्मी प्रशिक्षण, विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण, इंजीनियरी प्रशिक्षण, विपणन प्रशिक्षण, प्रबंध प्रशिक्षण तथा स्थल सहायता प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है ।

एयरबस-320 पर फलाईट डिस्पैचर्स पाठ्यक्रम

परिचय:

एयरलाईन द्वारा नियुक्त फ्लाईट डिस्पैचर उडान के लिए योजना बनाने और एटीसी एवं मौसम (मेट) संबंधी जानकारी प्राप्त कर पायलटों को सूचित करने तथा कंपनी के परिचालन मैनुअल में सूचीबध्द अन्य कार्यों को निभाने के लिए उत्तरदायी होते हैं । फ्लाईट डिस्पैचर्स के रूप में नियुक्ति के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और डीजीसीए से अनुमोदित अभ्यर्थियों की आवश्यकता होती है। एअर इंडिया लिमिटेड, सीटीई गर्व के साथ एयरबस-320 पर **"डीजीसीए अनुमोदन प्राप्त फ्लाईट डिस्पैचर्स पाठ्यक्रम"** का शुभारंभ करने की घोषणा करता है ।

योग्यता मानदंड:

* छात्र की आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए ।
* किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से गणित और भौतिक विषय के साथ 10+2 कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है ।

पाठ्यक्रम की अवधि:

प्रशिक्षण की अवधि में 360 घंटे या 12 हफ्ते की स्थल कक्षाएँ होंगी । तत्पश्चात्, डीजीसीए / टीआरटीओ परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद, 90 कार्य दिवसों का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण और उड़ान डेक प्रचालन के पर्यवेक्षण हेतु 5 घंटों का सिम्युलेटर सत्र दिया जाएगा ।

यदि छात्र पहली बार में ही डीजीसीए / टीआरटीओ परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता और अन्य कोई अतिरिक्त/करेक्टिव प्रशिक्षण का अनुरोध करता है तो यह प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना एअर इंडिया लिमिटेड का दायित्व नहीं समझा जाएगा । वह प्रशिक्षण अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध कराया जा सकता है ।

आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय):

* पाठ्यक्रम हेतु सूचना पुस्तिका / ब्रोचर और आवेदन पत्र एअर इंडिया लि, केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, हैदराबाद से प्राप्त किया जा सकता है । यह कंपनी के वेबसाईट **www.airindia.in** के कैरिअर पेज पर भी उपलब्ध है ।
* विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, अप्रतिदेय आवेदन शुल्क सामान्य के लिए 500/- रु. और अ.जा./अ.ज.जा. के आवेदकों के लिए 250/-रु. के डिमांड ड्राफ्ट, जो **"एअर इंडिया लिमिटेड"** के नाम पर हैदराबाद में देय के साथ दिया जाए। अथवा अप्रतिदेय 'आवेदन शुल्क' का भुगतान नकद के रूप में एअर इंडिया लि., केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, हैदराबाद में भी किया जा सकता है ।
* आवेदन शुल्क सहित पूरी तरह से भरे हुए आवेदन पत्र को नीचे लिखे पते पर भेजा जाए:

कार्यपालक निदेशक (प्रशिक्षण)
एअर इंडिया लिमिटेड, केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,
फिरोजगुडा, हैदराबाद - 500011, ऑंध्र प्रदेश

* छात्र को लिफाफे के ऊपर बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा -

"फ्लाईट डिस्पैचर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु"

पाठ्यक्रम का आरंभ : नवम्बर, 2012 के त:तीय सप्ताह ***के दौरान आरंभ होने की संभावना है ।***
अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पाठ्यक्रम आरंभ होने के कम से कम 20 दिन पूर्व अपने आवेदन पत्र अवश्य जमा करें ।

ट्यूशन शुल्क (अप्रतिदेय):

पूरे पाठ्यक्रम के लिए अप्रतिदेय ट्यूशन शुल्क 'दो लाख (2,00,000/-)' निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त लागू कर भी देय होंगे । छात्र को इसका भुगतान पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले ही करना होगा ।

तथापि, छात्र को यह भुगतान दो किस्तों में, नीचे दिये अनुसार करने का भी विकल्प है:

1. प्रथम किश्त - 1,50,000/- रु. एवं लागू कर सहित प्रवेश के समय
2. दूसरी किश्त - 50,000/- रु. एवं लागू कर सहित प्रशिक्षण आरंभ होने के आठ (8) हफ्तों के बाद

उपरोक्त शुल्क का कोई भी अंश छात्र द्वारा किसी भी कारण से उत्तरवर्ती परित्याग, अनुपस्थिति, विथड्राअल , छात्र के निलंबन, निष्कासन, बरख़ास्तगी के कारण से वापस या रद्द नहीं किया जाएगा ।

हॉस्टल आवास:

सीटीई में फुल बोर्ड बेसिस पर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है । इच्छुक छात्र को सुविधा उपलब्ध होने पर अतिरिक्त व्यय पर हॉस्टल सुविधा प्रदान की जा सकती है।

चयन प्रक्रिया:

आवेदन पत्रों की स्क्रूटिनाइजिंग के बाद, चयन समिति द्वारा चयनित छात्रों का साक्षात्कार लिया जाएगा ।

आवेदित छात्रों में योग्य छात्रों की संख्या एवं स्थान के आधार पर साक्षात्कार का स्थान और दिनांक तय किया जायेगा जिसकी सूचना छात्र को केवल ***ई-मेल*** से दी जाएगी ।

पाठ्यक्रम संपूरण प्रमाणपत्र:

पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले छात्रों को एअर इंडिया लिमिटेड, सीटीई द्वारा पाठ्यक्रम संपूरण प्रमाणपत्र जारी किये जायेंगे ताकि वे डीजीसीए परीक्षा में बैठ सके ।

एअर इंडिया लिमिटेड, सीटीई का दायित्व मात्र संपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने तक, ही है जो छात्र के लिए डीजीसीए द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक होता है ।

विषय-सूची:

नागर विमानन अपेक्षाएँ धारा 7, श्रृंखला 'एम', भाग II के अनुसार पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय होंगे:

क्र.सं.	विषय
1	नेविगेशन सामान्य
2	रेडियो एड्स
3	उपकरण / इन्स्ट्रुमेंट
4	वायु विनियम: विमान नियम, एआईपी इंडिया वाल्यूम I, सीएआर, एआईसी
5	मौसम-विज्ञान
6	उड़ान योजना
7	सामान्य तकनीकी
8	सामान्य निष्पादन
9	विमान विशिष्ट ए 320 तकनीकी (विमान प्रणाली + आपातकालीन उपकरण)

क्र.सं.	विषय
10	विमान विशिष्ट ए 320 निष्पादन
11	वैमानिकी सूचनाएँ एआईपी इंडिया वाल्यूम I, जेप्सन मार्ग/रूट मैनुअल
12	एयरोड्रोम प्रचालन मिनिमा
13	कर्मी प्रशासन - एफडीटीएल
14	कर्मी ब्रीफिंग / सलाहकारी सूचनाएँ / उड़ानगत अनुवर्ती प्रक्रियाएँ
15	संप्रेषण / आरटी प्रक्रियाएँ
16	ईटाप्स, आरवीएसएम, आरएनपी
17	मानव निष्पादन कुशलताएँ
18	फ्लाईट डिस्पैच का प्रदर्शन, एटीसी, मेट दौरा

स्थल कक्षाओं की समाप्ति के बाद छात्रों को डीजीसीए / टीआरटीओ की लिखित परीक्षा में बैठना होगा ।

सभी लिखित परीक्षाएँ पास होने के बाद छात्रों को 90 कार्य दिवसों का ऑन-जॉब-ट्रेनिंग और डेक प्रचालन के पर्यवेक्षण हेतु 5 घंटों का सिम्युलेटर सत्र में भाग लेना होगा ।

तत्पश्चात्, छात्र को डीजीसीए, नई दिल्ली या अन्य स्टेशन पर मौखिक परीक्षा देनी होगी ।

साधारण निबंधन और शर्तें

1. एअर इंडिया किसी भी विज्ञापित पाठ्यक्रम को रद्द करने का अधिकार रखता है ।
2. अतिरिक्त/करेक्टिव प्रशिक्षण के अन्यथा होते हुए भी, यदि छात्र अपेक्षित मानक पूरा नहीं कर पाता है, तो उसका प्रशिक्षण तुरंत रोक दिया जाएगा ।
3. प्रवेश के निबंधन और शर्त के उल्लंघनकर्ता छात्र को किसी सूचना के बगैर कार्यक्रम से तत्काल बरख़ास्त किया जा सकता है ।

कृपया नोट करें कि यह पाठ्यक्रम एअर इंडिया लि. में किसी जॉब की गारंटी नहीं देता है।

उपरोक्त विषय पर अधिक जानकारी के लिए कृपया hydcte.atb@airindia.in पर मेल करें या प्रवेश अधिकारी से 040-27750723 पर संपर्क करें ।